

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/1659-1705 दिनांक:- 30/4/2014

आदेश संख्या - 05/2014-15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/-में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	इकबाल अली रंगरेज	24/94	19.02.1996	19.02.2014	
02.	सुखदेव ढाका	68/94	10.04.1996	10.04.2014	
03.	निर्मल डंगायच	92/94	19.02.1996	19.02.2014	
04.	विनोद कुमार वैष्णव	115/94	19.02.1996	19.02.2014	
05.	द्वारका प्रसाद शर्मा	116/94	09.04.1996	09.04.2014	
06.	मोहम्मद साबिर	150/94	19.02.1996	19.02.2014	
07.	मदन लाल सैनी	179/94	19.02.1996	19.02.2014	
08.	प्रकाश चन्द गहलोत	192/94	20.02.1996	20.02.2014	
09.	मकेश माथुर	193/94	28.02.1996	28.02.2014	
10.	महेश कुमार खत्री	195/94	28.02.1996	28.02.2014	
11.	सुरेश कुमार यादव	207/94	24.02.1996	24.02.2014	
12.	प्रमिल कुमार खण्डेलवाल	247/94	20.02.1996	20.02.2014	
13.	राधेश्याम गुप्ता	265/94	06.03.1996	06.03.2014	
14.	भवानी शंकर तिवारी	301/94	08.03.1996	08.03.2014	
15.	चन्द्रप्रकाश	308/94	24.02.1996	24.02.2014	
16.	दाऊदयाल गोयल	352/94	20.4.1996	20.04.2014	
17.	रमेश जायसवाल	386/94	26.02.1996	26.02.2014	
18.	दलाराम सुथार	417/94	02.03.1996	02.03.2014	
19.	दिलीप कुमार सैनी	453/94	11.03.1996	11.03.2014	
20.	असद उल्लाह खान	494/94	18.03.1996	18.03.2014	
21.	सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	511/94	12.04.1996	12.04.2014	
22.	शशिकान्त दवे	532/94	05.04.1996	05.04.2014	

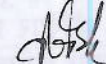
उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

acp.doc

कमरा नम्बर 310, "ए" ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302015 (फैक्स नं. 0141-2742309)

क्रम संख्या 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 18 एवं 19 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

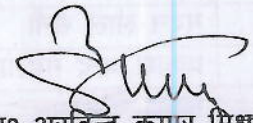
उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।



(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/ 1659-1705 दिनांक 30/4/14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल ।



(डा० अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)